बहरोड़ (कोट...

18/12/25 आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हेतु
पेश हुयी। पक्षकारान उप०। पत्रावली का
अवलोकन किया गया। अतः वादी का वाद-पत्र
मुताबिक हरेजाट रिपोर्ट के आधार पर डिक्री
किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से
लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली
बाद नम्बर से कम है। बाद
जोगल धुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बहरोड (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना ॥

(RAS)

राजस्व प्रार्थना न० :– 12 / 2025

दायर दिनांक :– 09.01.2025

निर्णय दिनांक :– 18.12.2025

उनवान

1. अनन्त सरोवर हायर एज्यूकेशन टस्ट ऑफिस 220 ग्रामउण्ड प्रथम फलोर लाजपतनगर दिल्ली जरिये चैयरमेन जिनेश कुमार त्यागी पुत्र हरशरण सिंह त्यागी जाति ब्राहम्ण निवासी हाउस न. 37 गॉव पोस्ट मरिमनगर गाजियाबाद यू.पी. .... वादीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र मातादीन जाति गुर्जर निवासी जैनपुरबास तहसील बहरोड़।
2. राजेश पुत्र बुधा जाति गुर्जर निवासी जैनपुरबास तहसील बहरोड़।
3. तहसीलदार साहब बहरोड़ तहसील बहरोड़। ..... प्रतिवादीगण

दावा–दस्तकरारहक व हुक्म इम्तनाई दवामी

उपस्थित :–

1. श्री विनोद कुमार यादव अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री नवीन कुमार शर्मा एण्ड देवश्री शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। विवादित वाद पत्र का दिनांक 08.10.2025 को प्रारभिक रूप से निर्णय किया जाकर प्राथमिक डिक्री वास्ते विभाजन आराजी कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु जारी की गई। तद्दानुसार तहसीलदार बहरोड़ ने विवादित आराजी को मौके पर तकसीम दिनांक 25.11.2025 को मौके पर तकसीम कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान के वकुलाय ने विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की तथा विभाजन प्रस्ताव को सही होना स्वीकार कर सहमति के हस्ताक्षर आदेशिका पर किये। जिस सूरत में

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

हम वाद पत्र को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट के आधार पर डिक्री मुताबिक रिपोर्ट कुर्रेजात/विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार से तकसीम किया जाता है।

1. आराजी खसरा नम्बर 346 रकबा 0.075, है0 वाके ग्राम जैनपुरवास तहसील बहरोड के अनन्त सरोवर हायर एज्यूकेशन ट्रस्ट सी प्रथम 220 ग्राउण्ड फलोर लाजपत नगर दिल्ली 24 जर्ये चैयरमेन जिनेश कुमार त्यागी पुत्र हरशरण सिंह त्यागी जाति ब्राहम्ण नि. हाउस न. 37 गॉव धुकाना पोस्ट मरियन नगर गाजियाबाद(यू.पी.) खातेदार काश्तकार रहेगे।
2. आराजी खसरा नम्बर 346/146/2 रकबा 0.075, वाके ग्राम जैनपुरवास तहसील बहरोड में कन्हैयालाल पुत्र मातादीन हिस्सा 1/2 राजेश पुत्र बुधा हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर सा. देह0 खातेदार रहेगे।
3. तहसीलदार बहरोड़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट इस निर्णय का भाग रहेगा। तथा इसी कदर हाल भू–अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनाक 18.12.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बहरोड (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीणा ॥
(R.A.S.)

मुकदमा न० :– 12/2025
दायर दिनांक :– 09.01.2025
निर्णय दिनांक :– 18.12.2025

उनवान

1. अनन्त सरोवर हायर एज्यूकेशन टस्ट ऑफिस 220 ग्रामउण्ड प्रथम फलोर लाजपतनगर दिल्ली जरिये चैयरमेन जिनेश कुमार त्यागी पुत्र हरशरण सिंह त्यागी जाति ब्राहम्ण निवासी हाउस न. 37 गॉव पोस्ट मरिमनगर गाजियाबाद यू.पी. .... वादीगण

बनाम

4. कन्हैयालाल पुत्र मातादीन जाति गुर्जर निवासी जैनपुरबास तहसील बहरोड़।
5. राजेश पुत्र बुधा जाति गुर्जर निवासी जैनपुरबास तहसील बहरोड़।
6. तहसीलदार साहब बहरोड़ तहसील बहरोड़। ..... प्रतिवादीगण

दावा–दस्तकराहक व हुक्म इम्तनाई दवामी

उपस्थित :–

3. श्री विनोद कुमार यादव अधिवक्ता वादीगण।
4. श्री नवीन कुमार शर्मा एण्ड देवश्री शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

–: पर्चा डिक्री :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। हम वादी का वाद पत्र को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट के आधार पर डिक्री मुताबिक रिपोर्ट कुर्रेजात/विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार से तकसीम किया जाता है।

4. आराजी खसरा नम्बर 346 रकबा 0.075, है0 वाके ग्राम जैनपुरवास तहसील बहरोड के अनन्त सरोवर हायर एज्यूकेशन ट्रस्ट सी प्रथम 220 ग्राउण्ड फलोर लाजपत नगर दिल्ली 24 जर्ये चैयरमेन जिनेश कुमार त्यागी पुत्र हरशरण सिंह त्यागी जाति ब्राहम्ण नि. हाउस न. 37 गॉव धुकाना पोस्ट मरियन नगर गाजियाबाद(यू.पी.) खातेदार काश्तकार रहेगे।
5. आराजी खसरा नम्बर 346/146/2 रकबा 0.075, वाके ग्राम जैनपुरवास तहसील बहरोड में कन्हैयालाल पुत्र मातादीन हिस्सा 1/2 राजेश पुत्र बुधा हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर सा. देह0 खातेदार रहेगे।
6. तहसीलदार बहरोड़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट इस निर्णय का भाग रहेगा। तथा इसी कदर हाल भू–अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनाक 18.12.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़ राज.

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना न. :– 139 / 2025
दायर दिनांक :– 09.07.2025
निर्णय दिनांक :– 08.10.2025

उनवान

1. अनन्त सरोवर हायर एज्यूकेशन टस्ट ऑफिस 220 ग्राउण्ड प्रथम फलोर लाजपतनगर दिल्ली जरिये चैयरमैन जिनेश कुमार त्यागी पुत्र हरशरण सिंह त्यागी जाति ब्राहम्ण निवासी हाउस न. 37 गॉव पोस्ट मरियमनगर गाजियाबाद यू.पी.

बनाम्

1. कन्हैयालाल पुत्र श्री मातादीन जाति गुर्जर निवासी जैनपुरबास तहसील–बहरोड जिला–कोटपूतली–बहरोड राज
2. राजेश पुत्र श्री बुधा जाति गुर्जर निवासी जैनपुरबास तहसील–बहरोड जिला–कोटपूतली–बहरोड राज.
3. तहसीलदार साहब, बहरोड तहसील–बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज.

......प्रतिवादीगण

<u>दावा तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी अर्न्तगत धारा 53, 88, 188 आर.टी.ए</u>

उपस्थित :–

1. श्री विनोद कुमार यादव अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री नवीन कुमार शर्मा एण्ड देवश्री शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। पत्रावली के सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि अनन्त सरोवर एक टस्ट हैं जिसके चैयरमेन जिनेश कुमार त्यागी हैं एवं प्रतिवादी सं 1, 2 वाद पत्र के शीर्षक में दर्शित पते के रहने वाले हैं एवं प्रतिवादी सं 3 बहरोड तहसील के भूमिधारी है। वादी व प्रतिवादी सं 1, 2 की संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर हाल 346 रकबा 15 एयर वाके ग्राम जैनपुरबास तहसील बहरोड में स्थित हैं जिस आराजीयात में वादी 1/2 हिस्से की मालिक खातेदार दर्ज हैं। प्रतिवादी सं 1 व 2, 1/4, 1/4 हिस्से का मालिक खातेदार हाल जमाबंदीयात में दर्ज हैं जो आराजी आगे चलकर उक्त वाद पत्र में आराजी मुतनाजा से सम्बोधित की जावेगी। आराजी मुतनाजा रेवेन्यू रिकॉर्ड में सहखातेदारी की आराजी हैं लेकिन अब सामुहिक में काश्त करना संभव नहीं हैं इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि पक्षकारान के मध्य आराजी मुतनाजा का रेवेन्यू रिकॉर्ड में विभाजन होकर अलग अलग खाताबंदी हो जावें जिससे खातेदार अपनी सुविधा के अनुसार सुधारात्मक कार्य कर सकें। आराजी मुतनाजा को तकसीम किये जाने से किसी भी पक्षकार का अहित नहीं हैं बल्कि सभी

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

खातेदारान की सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि आराजी मुतनाजा का विधिवत बँटवारा रेवेन्यू रिकॉर्ड में हो जायें इसलिए आराजी मुतनाजा के सम्बंध में मौके की कुर्रे रिपोर्ट मँगवाई जाकर विधिनुसार फाईनल डिक्री पारित की जायें एवं मौके पर कुर्रे कायम करवाकर अलग अलग खाताबंदी की जावें व रेवेन्यू रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जायें जिससे भविष्य में होने वाले विवादों से बचा जा सके। दिनाँक 01.07.2025 को वादी, प्रतिवादी सं 1 व 2 से मिला व आराजी मुतनाजा का बंटवारा सहमति के आधार पर करवाने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी सं 1, 2 ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया एवं प्लोटिंग करने की बात कही यदि इस प्रकार से प्रतिवादी सं 1 व 2 ने बिना बँटी हुई आराजी का दिगर जगह बेचान कर दिया तो वादी, को अपूर्णीय क्षति होगी व अपने जायज हक व हकूकों से वंचित रहना पडेगा इसलिए प्रतिवादी सं 1. 2 को जऐं हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबंध किया जावें कि वो जब तक आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से बँटवारा नही हो जाता तब तक आराजी मुतनाजा को दिगर जगह रहन बय हिबा मुतकील नहीं करे, रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाएं रखे। दावा हाजा के लिए विनाय दावी व विनाय मुखास्मत दिनाँक 01.07.2025 को उस समय पैदा हुई जब प्रतिवादी सं 1, 2 से तकासमा के लिए कहा लेकिन उन्होनें मना कर दिया जिससे दावा अंदर मियाद पेश हैं। 8. यह है कि आराजी मुतनाजा ग्राम जैनपुरबास में स्थित हैं जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में है इसलिए वाद पत्र श्रवण करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को हैं। श्रीमान् से प्रार्थना है कि दावा बहक वादी घर खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी किया जावें कि डिकी तकसीम आराजी इस आशय की सादिर फरमाई जायें कि आराजी खसरा नम्बर हाल 346 रकबा 15 एयर वाके ग्राम जैनपुरबास का विधिवत रूप से बँटवारा किया जाकर तकसीम की फाईनल डिकी पारित की जाकर अलग अलग खाताबंदी करवाई जावें एवं वादी के रकबे का अलग से खसरा नम्बर बनाया जाकर प्रतिवादी सं 1, 2 का नाम कलमजन किया जावें व कुर्रे कायम करवाये जाकर रेवेन्यू रिकॉर्ड में अमल करवाया जावें इसी प्रकार प्रतिवादी सं 1. 2 के हिस्से का अलग से खसरा नम्बर बनाया जाकर रेवेन्यू रिकॉर्ड में अमल करवाया जावें। एवं डिकी हुक्म ईम्तनाई दवामी जारी कर प्रतिवादी सं 1, 2 को पाबंध किया जावें कि आराजी खसरा नम्बर हाल 346 रकबा 15 एयर थाके ग्राम जैनपुरबास का जब तक विधिवत रूप से बँटवारा नहीं हो जाता तब तक आराजी मुतनाजा पर प्लोटिंग नहीं करें, दिगर जगह रहन बय हिबा मुंतकील नहीं करें, रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाएं रखें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी जरियें अधिकवक्ता के उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो वाद शामिल मिसल किया गया।

हमने वकुलाया को सुना गया तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया।वादी द्वारा वाद पत्र को आराजी खसरा नम्बर हाल 346 रकबा 15 एयर वाके ग्राम जैनपुरबास तहसील बहरोड को तकसीम करवाये जाने बबात पेश किया है। विवादित आराजी जमाबन्दी संवंत 2073–2076 के अनुसार संयुक्त खातेदारी की आराजी है। वाद पत्र में

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

वादी एवं प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की अविभाजित खातेदारी की आराजी है। वादी नियमानुसार अपने हिस्से को तकसीम करवाने के अधिकारी है। जिस सूरत में हम विवादीत आराजी को पक्षकारान के मध्य नियमानुसार तकसीम किया जाना उचित समझते है।

–: प्राथमिक निर्णय :–

अतः वाद पत्र प्रारभिक रूप से डिक्री किया जाकर प्राथमिक डिक्री इस आषय की जारी की जाती है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 346 रकबा 15 एयर वाके ग्राम जैनपुरबास तहसील बहरोड में दर्ज सहखातेदारान को अपने दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार से उपरोक्त आराजी को तकसीम करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बहरोड़ को निर्देश प्रदान किये जाते है कि वह सह खातेदारो के हिस्सा अनुसार आराजी को तकसीम कर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करे तथा राजस्थान टिनेंसी नियमो के नियम 18 से 21 की पालना करते हुऐ मौके पर जाकर विवादित आराजी का कुर्रे कायम कर विभाजन प्रस्ताव न्यायालय हाजा में आगामी दिनांक 30.10.2025 से पूर्व प्रस्तुत करे। तहसीलदार बहरोड को पालना हेतु आदेष जारी हो। इसी कदर प्राथमिक डिक्री जारी करे।

आज दिनांक 08.10.2025 को यह प्रारभिक निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना–II)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़ राज.

पीठासीन अधिकारी	:–	रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना न.	:–	139 / 2025
दायर दिनांक	:–	09.07.2025
निर्णय दिनांक	:–	08.10.2025

उनवान

1. अनन्त सरोवर हायर एज्यूकेषन टस्ट ऑफिस 220 ग्राउण्ड प्रथम फलोर लाजपतनगर दिल्ली जरिये चैयरमैन जिनेष कुमार त्यागी पुत्र हरशरण सिंह त्यागी जाति ब्राहम्ण निवासी हाउस न. 37 गाँव पोस्ट मरियमनगर गाजियाबाद यू.पी.

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र श्री मातादीन जाति गुर्जर निवासी जैनपुरबास तहसील–बहरोड जिला–कोटपूतली–बहरोड राज
2. राजेश पुत्र श्री बुधा जाति गुर्जर निवासी जैनपुरबास तहसील–बहरोड जिला–कोटपूतली–बहरोड राज.
3. तहसीलदार साहब, बहरोड तहसील–बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज.

......प्रतिवादीगण

<u>दावा तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत</u>
<u>धारा 53, 88, 188 आर.टी.ए</u>

उपस्थित :–

1. श्री विनोद कुमार यादव अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री नवीन कुमार शर्मा एण्ड देवश्री शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–: प्राथमिक पर्चा डिक्री :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। वाद पत्र प्रारभिक रूप से डिक्री किया जाकर प्राथमिक डिकी इस आश्य की जारी की जाती है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 346 रकबा 15 एयर वाके ग्राम जैनपुरबास तहसील बहरोड में दर्ज सहखातेदारान को अपने दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार से उपरोक्त आराजी को तकसीम करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बहरोड़ को निर्देश प्रदान किये जाते है कि वह सह खातेदारो के हिस्सा अनुसार आराजी को तकसीम कर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करे तथा राजस्थान टिनेंसी नियमो के नियम 18 से 21 की पालना करते हुऐ मौके पर जाकर विवादित आराजी का कुर्रे कायम कर विभाजन प्रस्ताव न्यायालय हाजा में आगामी दिनांक 30.10.2025 से पूर्व प्रस्तुत करे। तहसीलदार बहरोड को पालना हेतु आदेश जारी हो।

आज दिनांक 08.10.2025 को यह प्रारभिक निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना–II)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)